केवल इस आधार पर कार्य करें कि यह गुप्त और बिना किसी कारण के था। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

> "आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि न्यायाधिकरण द्वारा मामले में उत्पन्न होने वाले प्रासंगिक तथ्यों या कानून पर शायद ही कोई मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है। यह एक बहुत ही गुप्त आदेश है और किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है।"

(15) उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम निर्धारित करते हैं कि 1985 के अधिनियम के तहत दायर आवेदनों पर निर्णय लेते समय, न्यायाधिकरणों का कानूनी कर्तव्य है कि वे तथ्य और कानून के मुद्दों पर विवेकपूर्ण अनुप्रयोग का खुलासा करते हुए ठोस कारणों को दर्ज करें और ऐसे आवेदनों पर संक्षिप्त रूप से निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि संबंधित न्यायाधिकरण इस दृढ़ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि आवेदक द्वारा किया गया दावा तुच्छ या परेशान करने वाला है।

(16) ऊपर बताए गए कारणों से, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश को न्यायाधिकरण को याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करने और पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया जाता है।

एस.सी. के.

माननीय न्यायमूर्ति ए. बी. एस. गिल और वी. एस. अग्रवाल के समक्ष , जे. जे.

ब्रिग. सत्य देव (सेवानिवृत्त)-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

C.W.P. No. 4827 of 2000

20 मार्च, 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14,16 & 226—हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 1987-आर. एल. 4 और 7-विधिवत गठित उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति की सिफारिशों पर एक पूर्व सैनिक की नियुक्ति-नियुक्ति पत्र में पद के उन्मूलन या अन्य कारणों से सेवा की समाप्ति की परिकल्पना की गई है-सेवा से बर्खास्तगी की अब आवश्यकता नहीं है-पद मौजूद है-कृपया कि नियुक्ति निरंतर आधार पर होने के बजाय कार्यकाल के आधार पर होनी चाहिए और यह दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी, मान्य नहीं थी-याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं था और उसके कामकाज में कोई कमी नहीं पाई गई-कोई कारणदर्शक नोटिस नहीं दिया गया और सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गयाअनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन- माप्ति आदेश को रद्द करते समय रिट याचिका को अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित किया कि नियुक्ति पत्र के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति स्थायी पद पर अस्थायी आधार पर की गई थी। यह स्वीकार किया गया है कि, याचिकाकर्ता की नियुक्ति उच्च शक्ति प्राप्त चयन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्राप्त हो गया है या जब तक कि सक्षम प्राधिकारी सेवा में उसके प्रदर्शन के संतोषजनक नहीं होने या दुर्व्यवहार के आधार पर उसकी सेवा को समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता है।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियुक्ति पत्र में याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति की परिकल्पना की गई

है, सबसे पहले पद के उन्मूलन पर या पद के उन्मूलन के अलावा अन्य कारणों से। बर्खास्तगी का विवादित आदेश यह इंगित नहीं करता है कि क्या पद को समाप्त कर दिया गया था या प्रतिवादीगण के साथ उनकी सेवा को समाप्त करने के अन्य कारण हैं। विवादित आदेश में, यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवा की अब उस नियुक्ति पत्र में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता की सेवा की अब आवश्यकता नहीं होने के उद्देश्य से एक कारण होना चाहिए जिसे "पद के उन्मूलन के अलावा अन्य" अभिव्यक्ति द्वारा आच्छादित किया जा सकता है।

(पैरा 13)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना विवादित आदेश पारित किया गया है। 'ऑडी *अल्टरम पार्टम'* के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि किसी को भी बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए और यह प्राकृतिक न्याय के शासन का एक हिस्सा है। समाप्ति का वह आदेश बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए पारित किया गया था जो अन्यथा आचरण नियमों के तहत जारी किया जाना आवश्यक है। चूंकि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई है और प्रतिवादीगण की कार्रवाई दंडात्मक प्रकृति की है, इसलिए प्रतिवादीगण को हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियमों के नियम 7 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन करती है।

(पैरा 20)

टी. एस. ढिंढसा, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

सूर्यकांत, महाधिवक्ता, हरियाणा, के साथ

संजय वशिष्ठ, उप *महाधिवक्ता,* प्रतिवादी की ओर से।

श्री अनिल मल्होत्रा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए ।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति अमर बीर सिंह गिल, जे.

1.) याचिकाकर्ता भारतीय सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं। हरियाणा राज्य द्वारा 6 जून, 1997 को प्रकाशित विज्ञापन अनुलग्नक पी-1 के जवाब में, याचिकाकर्ता ने सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड के पद के लिए आवेदन किया और उचित चयन के बाद, उन्हें 4 सितंबर, 1997 को नियुक्ति दी गई। नियुक्ति पत्र, अनुलग्नक पी-3 में निम्नलिखित नियम और शर्तें थीं:—

उप:अस्थायी आधार पर सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा के पद पर नियुक्ति।

2. हरियाणा के राज्यपाल आपको सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा के रूप में विशुद्ध रूप से अनंतिम आधार पर रुपये के वेतनमान पर एक अस्थायी नियुक्ति की पेशकश करते हुए प्रसन्न हैं। 3700125-4700-150-5000 प्लस सामान्य भत्ते जो सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 58 वर्ष तक समय-समय पर स्वीकार्य हो सकते हैं।

3. राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव का पद समाप्त होने की स्थिति में आपकी सेवाएं बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएंगी।

4. यदि, किसी भी स्तर पर, आप अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो आपको एक महीने के लिए या उस अवधि के लिए, जिसके लिए नोटिस एक महीने से कम हो जाता है, एक महीने का स्पष्ट नोटिस देना होगा या उसके बदले, भत्ते सहित अपना वेतन जब्त करना होगा। उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित कारणों के अलावा अन्य कारणों से आपकी सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव होने पर भी सरकार द्वारा आपको ऐसी सूचना दी जाएगी। इस मामले में, सरकार आपके वेतन का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी, जिसमें भत्ते भी शामिल हैं, एक

महीने के लिए, या उस अवधि के लिए जब नोटिस एक महीने से कम हो जाता है।

5. आप पंजाब सिविल सेवा नियमों, आचरण नियमों और सजा और अपील नियमों के प्रावधानों द्वारा भी शासित होंगे जो हरियाणा सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू होते हैं और हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य निर्देशों द्वारा भी।

6. इस नियुक्ति में शामिल होने के लिए आपको कोई T.A./D.A नहीं दिया जाएगा।

7. यदि आप ऊपर उल्लिखित शर्तों पर इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आपको इस पत्र के जारी होने के तुरंत बाद परंतु 15 दिनों के बाद नहीं, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा, सैनिक भवन, सेक्टर 12, पंचकूला में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। यदि आप निर्धारित अवधि के भीतर शामिल होने में विफल रहते हैं, तो नियुक्ति के इस प्रस्ताव को रद्द माना जाएगा।"

(2) याचिकाकर्ता ने इस पद पर तब तक कार्य किया जब तक कि याचिकाकर्ता को निम्नलिखित विवादित आदेश जारी नहीं किया गया, दिनांक 2/3.4.2000, अनुलग्नक पी-5 की प्रतिलिपि, जो नीचे दी गई है:—

हरियाणा के राज्यपाल का आदेश

हरियाणा के राज्यपाल ब्रिगेडियर सत्य देव (सेवानिवृत्त) सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा की सेवाओं को नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से उन्हे एक महने के नोटिस क स्थान पर एक महीने का वेतन देकर समाप्त करते हुए प्रसन्न हैं।

(3) हरियाणा के राज्यपाल ने 1 अप्रैल, 2000 से 3 अप्रैल, 2000 तक उनके वेतन की वापसी और अदायगी को भी मंजूरी दे दी है।

2 अप्रैल 2000

एस. डी./- राम एस. वर्मा

सरकार के मुख्य सचिव, हरियाणा।

(4) याचिकाकर्ता विभिन्न आधारों पर अपनी सेवा से समाप्ति के आदेश (अनुलग्नक पी-5) पर आप्ति करता है कि उसे सुनवाई का कोई भी अवसर दिए बिना यह आदेश उसकी पीठ पीछे पारित किया गया था, न ही याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने के उद्देश्य से कोई कारण दिखाओ नोटिस दिया गया और राजनीतिक प्रतिशोध और सत्ता के रंगीन प्रयोग के कारण उसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया है। वह विवादित समाप्ति आदेश अनुलग्नक पी-5 को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में रिट जारी करने की मांग करता है।

(5) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि भारतीय सेना में प्रतिष्ठित अधिकारी होने के कारण, सेवानिवृत्ति के बाद राज्य के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव के पद के राज्य के एक अन्य अधिकारी और पश्चिमी कमान के मुख्यालय के एक मेजर जनरल, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि से बनी एक उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया था और इस पद के लिए 30 से 35 उम्मीदवारों में से पूरी तरह से अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया था। इस दौरान

अपनी सेवा में उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण/पुनर्स्थापन से संबंधित विभिन्न उपलब्धियां हासिल कीं और उन्हें कभी भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके खिलाफ कभी भी कोई जांच शुरू नहीं की गई थी, बल्कि हरियाणा राज्य ने अपने विभाग के माध्यम से 11 जून, 1999 को प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया था। याचिकाकर्ता को विभाग का प्रमुख बनाया गया था। भारत सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक, पुनर्स्थापन (डी. जी. आर.) का विभाग बनाया जो राज्य द्वारा अपनाने के लिए नीति/योजना तैयार करता है। यह राज्य और जिला स्तरों पर सैनिक बोर्डों के कामकाज के लिए दिशा-निर्देश भी निर्धारित करता है। केंद्र सरकार द्वारा डी. जी. आर. के माध्यम से पचास प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई गई थी और यह विशेष रूप से राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि विभाग में विशेष रूप से सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड का पद सशस्त्र बलों और नौसेना के ब्रिगेडियर के पद से कम पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। अन्यथा भी हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1987 के नियम 4 के तहत, जो याचिकाकर्ता की सेवा पर लागू किए गए थे, जुर्माना लगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है और बड़ा जुर्माना लगाने के मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नियमों के तहत तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश प्रकृति में प्रतिशोधी होने के अलावा प्राकृतिक न्याय के नियमों, सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह राज्य में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री बी. एस. हुड्डा के करीबी रिश्तेदार हैं, जिन्होंने संसद के चुनाव में चौधरी देवी लाई को हराया है और इस तरह के विवादित आदेश से प्रतिवादी संख्या 3, वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों प्रतिशोध की गंध आती है और उनके कहने पर कार्रवाई की गई है।

(6) प्रतिवादी न. 1 द्वारा दायर जवाब दावा, याचिकाकर्ता की नियुक्ति और सेवा से उसकी समाप्ति के संबंध में कोई तथ्यात्मक इनकार नहीं है। हालाँकि, इसे भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, से 16 अप्रैल, 1998 के पत्र के आधार पर उचित ठहराया जाने का प्रयास है , अनुलग्नक R -1 की प्रति, जिसमें आवश्यक था कि सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड के पद पर नियुक्ति, यह कार्यकाल के आधार पर शुरू में दो साल के लिए बनाया जाना चाहिए, इसी तरह इसे 6 साल या 58 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति कार्यकाल के आधार पर नहीं थी और बल्कि निरंतर होने के कारण यह भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत थी और इस प्रकार इसे समाप्त कर दिया गया था।

(7) गुण-दोष पर भी यह दोहराया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय यानी डी. जी. आर. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी और इसलिए याचिकाकर्ता इस पद पर बने नहीं रह सकता था। पद पर याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई उपलब्धियां पद से जुड़े सामान्य कर्तव्यों का हिस्सा हैं जिनके लिए याचिकाकर्ता किसी भी श्रेय का दावा नहीं कर सकता है। यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को विभाग के प्रमुख का दर्जा दिया गया था। इस बात से इनकार किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई किसी भी दुर्भावनापूर्ण या प्रतिशोधी इरादे से की गई है और यह कि आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित सावधानी और परिश्रम के बाद पारित किया गया है। नियुक्ति पत्र की शर्त संख्या 3 के सख्त अनुपालन के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवा को से समाप्त किया गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की सेवा निरंतर आधार पर होना विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। यह दावा किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति सख्ती से उनके नियुक्ति पत्र के अनुसार थी और दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता को उनकी सेवा समाप्त करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी।

(8) प्रत्यर्थी संख्या 3, डी. जी. आर., रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर अलग जवाब दावा में, यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य और जिला सैनिक बोर्ड भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों/नीतियों और अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में 9 मई, 1994 के अनुलग्नक R3/1,16 अप्रैल, 1998 के अनुलग्नक R3/2 और 6 सितंबर, 1999 के अनुलग्नक R3/3 के पत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। याचिकाकर्ता की नियुक्ति के मामले में, 9 मई, 1994 को जारी अनुलग्नक R3/1 में निहित दिशानिर्देश उस समय लागू थे, जिसमें कहा गया था कि यह वांछनीय है कि नियुक्त पूर्व सैनिक को उसकी नियुक्ति के समय न्यूनतम तीन साल की अवधि के लिए कार्यकाल सेवा दी जाएगी। कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर, 1998 के अपने अर्ध आधिकारिक पत्र, अनुलग्नक R3/5 के *माध्यम* से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को आश्वासन दिया था कि नियुक्ति केवल राज्य सैनिक बोर्ड में पूर्व सैनिकों की होगी और यदि वे उचित परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो वे 58 वर्ष की आयु

तक सेवा करेंगे।

(9) गुण-दोष के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है जो उसके खिलाफ कुछ भी अपमानजनक बताती है। बल्कि, याचिकाकर्ता के काम और आचरण की सराहना की गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के ब्रिगेडियर सोंधी ने जी. आर. के साथ यह कहा कि याचिकाकर्ता एक समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी था। प्रतिवादीगण ने आगे दावा किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति और प्रत्यर्थी संख्या 2 की कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया केंद्रीय सैनिक बोर्ड के किसी भी संदर्भ के बिना जो कि नियमों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के पूरी तरह से उल्लंघन मे है।

(10) प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी संशोधित जवाब दावा दायर किया गया था जिसमें याचिका दायर की गई थी कि याचिकाकर्ता नियुक्ति पत्र में निहित शर्त संख्या 3 से पूरी तरह से अवगत था और उसे स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार वह अपने समाप्ति आदेश को चुनौती देने से वंचित हो जाता है। प्रतिवादी नंबर 2, मुख्यमंत्री, द्वारा दायर एक अलग जवाब दावा में, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब भी प्रथम श्रेणी के कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जाती हैं, तो आदेश पारित करने वाली सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री की सहमति लेती है। वर्तमान मामला अलग नहीं है और उन्होंने याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने के लिए अपनी सहमति दी थी और याचिकाकर्ता की सेवा को कानून के अनुसार समाप्त कर दिया गया था।

(11) पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना गया है।

(12) नियुक्ति पत्र, अनुलग्नक पी-3 के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति स्थायी पद पर अस्थायी आधार पर की गई थी। यह स्वीकार किया गया है कि, याचिकाकर्ता की नियुक्ति विधिवत गठित उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इस प्रकार याचिकाकर्ता को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्राप्त हो गया या जब तक कि सक्षम प्राधिकारी सेवा में उसके प्रदर्शन के संतोषजनक नहीं होने या दुर्व्यवहार के आधार पर उसकी सेवा को समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता है।

(13) यह स्वीकार किया गया है कि, याचिकाकर्ता के काम और आचरण पर किसी भी समय प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी, बल्कि याचिकाकर्ता को विभाग का प्रमुख बनाया गया था और पूर्व सैनिकों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन के संबंध में उनकी उपलब्धियों की राज्य सरकार द्वारा विधिवत सराहना की गई थी। नियुक्ति पत्र अनुलग्नक पी-3 में याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है, सबसे पहले राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव के पद को समाप्त करने पर; प्रत्यर्थियों द्वारा; यदि पद को समाप्त करने के अलावा अन्य कारणों से उसकी सेवा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया होता। अन्यथा, याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति पर यानी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना था। नियुक्ति पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवा हरियाणा राज्य में लागू पंजाब सिविल सेवा नियमों, आचरण नियमों, सजा और अपील नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के संरक्षणात्मक दायरे में आती है, भले ही उनके नियुक्ति पत्र में उनकी नियुक्ति को अस्थायी और अनंतिम बताया गया हो। यदि अस्थायी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, तो उस अवधि से पहले सेवा समाप्त करना प्रथम दृष्टया दंड के समान होगा ताकि संविधान के अनुच्छेद 311 के आवेदन को आकर्षित करता है। अनुच्छेद 310, संदर्भ में, सेवाओं के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बीच या स्थायी या अस्थायी पदों पर बैठे व्यक्तियों के बीच कोई *अंतर नहीं करता* है। परशोतम *लाई ढींगरा बनाम भारत* संघ (1) में निम्नानुसार अवधारित किया गया थाः—

> "जिस प्रकार अनुच्छेद 310, सेवाओं के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बीच या स्थायी या अस्थायी पदों पर आसीन व्यक्तियों के बीच उनके कार्यकाल के राष्ट्रपति या राज्यपाल की खुशी पर निर्भर होने के मामले में कोई अंतर नहीं करता है, उसी तरह अनुच्छेद 311, दोनों वर्गों के बीच कोई अंतर नहीं करता है, जो दोनों, इसलिए, इसके संरक्षण के भीतर हैं। अनुच्छेद 311 के संरक्षण को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करना जो सेवाओं के स्थायी सदस्य हैं या जो स्थायी नागरिक पद रखते हैं, अनुच्छेद में विशेष शब्द जोड़ना होगा जो संविधान या क़ानून की व्याख्या करने के ठोस सिद्धांतों के विपरीत होगा।

(14) यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को तब तक पद पर बने रहने का अधिकार था जब तक कि इसे समाप्त नहीं कर दिया गया था या पद के उन्मूलन के अलावा अन्य कारणों से। बर्खास्तगी का विवादित आदेश यह इंगित नहीं करता है कि क्या पद को समाप्त कर दिया गया था या प्रतिवादीगण के साथ उनकी सेवा को समाप्त करने के अन्य कारण हैं। विवादित आदेश में, यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवा की अब उस नियुक्ति पत्र में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता की सेवा की अब आवश्यकता नहीं होने के उद्देश्य से एक कारण होना चाहिए जिसे "पद के उन्मूलन के अलावा अन्य" अभिव्यक्ति द्वारा आच्छादित किया जा सकता है।

(15) यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को न तो कोई कारण दिखाओ नोटिस दिया गया था और न ही उसे सुनवाई का अवसर दिया गया था। समाप्ति का आदेश प्रकृति में दंडात्मक होने के अलावा प्राकृतिक न्याय के नियमों के खिलाफ होने के अलावा सजा और अपील नियमों के खिलाफ है। हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम 1987 के नियम 7 में परिकल्पना की गई है कि बर्खास्तगी सहित कुछ दंड लगाने से पहले, प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ दोषी अधिकारी को कारण बताने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मुख्य रूप से प्रतिवादीगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि नियुक्ति पत्र के संदर्भ में याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई है। नियुक्ति पत्र की शर्तें स्पष्ट हैं। समाप्ति के क्रम में इसका उल्लेख किया गया है

(1) AIR 1958 SC 36

कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, जिसे नियुक्ति पत्र, अनुलग्नक पी 3 के खंड (3) के तहत शामिल करने की मांग की गई है, जो प्रतिवादीगण को पैरा 2 में उल्लिखित कारणों के अलावा अन्य कारणों से याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने का अधिकार देता है, यानी पद का उन्मूलन। "पद के उन्मूलन के अलावा" कारण केवल राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा के सचिव के रूप में याचिकाकर्ता के आचरण और प्रदर्शन से संबंधित हो सकता है और इस तरह के आचरण के आधार पर याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह प्रतिवादीगण का मामला नहीं है कि बर्खास्तगी सेवा में रहते हुए याचिकाकर्ता के किसी भी दुर्व्यवहार से उत्पन्न होती है, जबकि याचिका यह है कि महानिदेशक (पुनर्स्थापन), रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता को कार्यकाल के आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक था, न कि निरंतर आधार पर और इस तरह याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात पुनर्स्थापन महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर जवाब दावा प्रत्यर्थी-राज्य के मामले का खंडन करता है। यह उल्लेख किया गया है कि जब याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी गई थी, तो सैनिक कल्याण विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश, दिनांक 9 मई, 1994, जिसकी प्रति अनुलग्नक R3/1 है, चालू थी। अनुलग्नक R3/1 के खंड 4 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:—

> "निरंतरता और कुशल कार्यप्रणाली के उद्देश्य से, यह वांछनीय है कि निदेशक, सैनिक कल्याण के पद पर नियुक्त पूर्व-सेवा अधिकारियों को नियुक्ति के समय न्यूनतम तीन साल का सेवा कार्यकाल दिया जाए, इसी तरह जेडएसडब्ल्यूओ के मामले में, यह वांछनीय है कि न्यूनतम नियुक्ति 3 से 5 साल हो।

(15) नियुक्ति पत्र संलग्नक P-3 4 सितंबर, 1997 को याचिकाकर्ता को जारी किया गया था। अनुलग्नक R3/1 में भी कार्यकाल के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति का उल्लेख केवल वांछनीय के रूप में बताया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिशानिर्देश और निर्देश अलग-अलग पायदान पर खड़े होते हैं। नियुक्तियाँ करते समय दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाता है जबकि निर्देशों का पालन किया जाता है। उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किए गए दिशानिर्देशों में से कोई भी स्वाभाविक रूप से अनिवार्य नहीं था क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 3 राज्य का नियंत्रक प्राधिकरण या जिला स्तर के सैनिक बोर्ड नहीं थे। दिशानिर्देश अनुलग्नक R 3/2 दिनांकित 16 अप्रैल, 1998 हैं। पैरा 3 के खंड (सी) में प्रावधान है कि "सभी कर्मचारियों को कार्यकाल के आधार पर शुरू में दो साल के लिए नियुक्त किया जाएगा और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन एक समय में दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में कुल दस साल या 55 साल की उम्र से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जो भी पहले समूह सी और डी पदों के लिए हो और समूह ए और बी पदों के लिए छह साल या 58 साल की उम्र जो भी पहले हो)।" राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव का पद निश्चित रूप से समूह ए पद है।

(16) रक्षा मंत्री के 10 जुलाई, 1998 के डी. ओ. पत्र के जवाब में, जिसमें उन्होंने उपयुक्त रैंक के पूर्व सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख किया था, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर, 1998 को डेमी आधिकारिक पत्र जारी किया, जिसकी प्रति अनुलग्नक R3/5 है, जिसमें राज्य सैनिक बोर्डों में नियुक्तियां करने के तरीके का उल्लेख किया गया है। उस डी. ओ. पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः—

> "हमने आर. एस. बी. और जेड. एस. बी. के सचिवों को कार्यकाल नियुक्ति देने की नीति नहीं अपनाई है। एक बार नियुक्त होने के बाद ये अधिकारी अपने कर्तव्यों का संतोषजनक और कुशलता से निर्वहन करने की स्थिति में 58 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। हम ने पाया है कि इसके कारण प्रभावशीलता की कोई कमी नहीं है। वास्तव में, हम पूरे दिल से महसूस करते हैं कि वे असुरक्षा से ग्रस्त होंगे और हमेशा के लिए रोजगार के अन्य अवसरों की तलाश में रहेंगे। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि हम हमेशा आरएसबी और जेडएसबी के सचिवों की नियुक्ति में पुनर्वास महानिदेशक को संबद्ध करते हैं और नीति और इसके कार्यान्वयन के सभी मामलों में उनके साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखते हैं।

(17) इस प्रकार हरियाणा राज्य ने सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड की नियुक्ति की शर्तों के संबंध में एक विवेकपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया और इस तरह याचिकाकर्ता की नियुक्ति को निरंतर आधार पर उचित ठहराया। प्रत्यर्थी-राज्य ने, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दायर किए गए जवाब दावा में, तत्कालीन मुख्यमंत्री के पत्र से खुद को अलग कर लिया है, हालांकि दुर्भाग्य से एक उत्तराधिकारी सरकार के रूप में, अपने पूर्ववर्ती द्वारा लिए गए रुख का समर्थन करना उसके लिए अनिवार्य है। यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री को दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी नहीं थी। यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि मुख्यमंत्री से संबंधित कर्मचारियों ने देश के रक्षा मंत्री को डी. ओ. पत्र लिखने से पहले उन्हें इस विषय पर जानकारी नहीं दी। यह याचिका स्वयं पराजित करने वाली है क्योंकि यह राज्य की अफसरशाही पर प्रतिबिंब डालती है। जवाब दावा में याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने के समर्थन में लिया गया एकमात्र आधार यह है कि नियुक्ति निरंतर आधार के बजाय कार्यकाल के आधार पर की जानी चाहिए थी, यह राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के खिलाफ एक परिस्थिति है, जो 25 सितंबर, 1998 के मुख्यमंत्री के पत्र में परिलक्षित होती है, जिसकी प्रति अनुलग्नक R3/5 है। किस बात ने अचानक राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने के लिए प्रेरित किया, मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित नहीं है। सेवा न्यायशास्त्र का यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि सेवा शर्तों को किसी कर्मचारी के रोजगार के बाद उसके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है और इस तरह याचिकाकर्ता की सेवा को केवल इस आधार पर समाप्त करने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई कि नियुक्ति दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी, एक मनगढ़ंत बहाना प्रतीत होता है। यदि अन्यथा, याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं था और किसी भी तरह से उनका नियुक्ति पत्र दिशानिर्देशों के साथ मेल नहीं खाता था, तो इसे उनकी नियुक्ति के कार्यकाल को प्रभावित किए बिना दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए संशोधित किया जा सकता था।

(18) प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर जवाब दावा में, यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जानकारी या कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी जो याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल या अपमानजनक थी। बल्कि, 30 अप्रैल, 1998 को ब्रिगेडियर अशोक, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पूर्व सचिव, ने महानिदेशक के साथ अपनी यात्रा के संबंध में अपनी रिपोर्ट में, मेजर जनरल उग्रसेन यादव ने याचिकाकर्ता के काम पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि 30 अप्रैल, 1998 को गुड़गांव, रेवाड़ी और फरीदाबाद जैसे तीन जिलों की हमारी यात्रा के दौरान मैंने देखा कि राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव, ब्रिगेडियर, सत्य देव (सेवानिवृत्त), एक समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं जो पूर्व सैनिकों के कल्याण और कार्य के लिए ईमानदार और समर्पित हैं। हम जिन ई. एस. एम./अधिकारियों से मिले/संबोधित किए, उनमें से किसी को भी सचिव के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। वास्तव में वे केवल ब्रिगेडियर सत्य देव की ई. एस. एम./आश्रितों के समग्र हित में कई महत्वपूर्ण और सार्थक अच्छे बदलाव लाने के लिए प्रशंसा कर रहे थे। यह आगे उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 और केंद्रीय सैनिक बोर्ड याचिकाकर्ता के काम से पूरी तरह संतुष्ट थे और अभी भी हैं, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 और केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बहुत उच्च सम्मान दिया जाता है। जवाब दावा के पैरा न. 12 में, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्यर्थी न. 3 या केंद्रीय सैनिक बोर्ड से परामर्श किए बिना भी समाप्ति का विवादित आदेश पारित किया गया था, यह प्राकृतिक न्याय के नियमों और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का पूर्ण उल्लंघन प्रतीत होता है।

(19) प्रत्यर्थी न. 3, पुनर्स्थापन महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय, द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश अनुलग्नक P-5 द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने के लिए कार्यकाल नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देशों का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं था। यह प्रतिवादी-राज्य का मामला नहीं है कि राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव के पद पर याचिकाकर्ता के कामकाज में कोई कमी आई थी।

(20) जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस दिए बिना आदेश पारित कर दिया गया है। 'ऑडी अल्टरम *पार्टम' के सिद्धांत* के अनुसार किसी की निंदा उसे सुने बिना नहीं की जानी चाहिए और यह प्राकृतिक न्याय के शासन का एक हिस्सा है। वर्तमान मामले में समाप्ति का आदेश बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए पारित किया गया था जो अन्यथा ऊपर उल्लिखित आचरण नियमों के तहत जारी किया जाना आवश्यक है। चूंकि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई है और प्रतिवादीगण की कार्रवाई दंडात्मक प्रकृति की है, इसलिए प्रतिवादीगण को सजा और अपील नियमों के नियम 7 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन करती है। यह अच्छी तरह से तय है कि प्रत्येक राज्य की कार्रवाई मनमानेपन से मुक्त होनी चाहिए। इसे कारणों से सूचित किया जाना चाहिए और जनहित में होना चाहिए।

अनुच्छेद 14 और 16 का दायरा और पहुंच उन मामलों तक सीमित नहीं है जहां प्रभावित लोक सेवक को किसी पद का अधिकार है। भले ही कोई लोक सेवक कार्यवाहक पद पर हो, वह अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है यदि राज्य द्वारा मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से व्यवहार किया गया *हो या* दुर्भावनापूर्ण तरीके से शक्ति का दुरुपयोग *किया गया* हो। देखें ई. पी. *रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और एक अन्य (2)*।

(21) राज्य सैमक बोर्ड के सचिव का पद अभी भी मौजूद है। समाप्ति आदेश अनुलग्नक P-5 भी जनहित के खिलाफ है। दिशानिर्देशों के अनुसार, सचिव के पद का संचालन चयन समिति द्वारा विधिवत चुने गए ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी द्वारा किया जाना है। यह स्वीकार किया गया है की, याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति के बाद, आई. ए. एस. रैंक का एक अधिकारी स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में इस पद पर काम कर रहा है। राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव के पद के लिए ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी की आवश्यकता पूर्व सैनिकों की समस्याओं से निपटने और पूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों के पुनर्वास में उनकी विशेषज्ञता के कारण है, जिसके लिए एक अफसरशाह रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों को जारी रखने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हो सकता है।

(22) इसी तरह के मामले/विवाद में जहां एक अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं को नगर समिति द्वारा वितरित किया गया था, यह सवाल कि क्या नगर समिति को बिना किसी नोटिस या कारण के कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार था और क्या ऐसा कर्मचारी अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है, इस न्यायालय *द्वारा रोहतास* सिंह *बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* (3) मामले में विचार किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति जो बिना किसी कारण या तुकबंदी के लाई गई है और जो सार्वजनिक हित के विपरीत है, उसे मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन घोषित किया जाना चाहिए।

(23) परिस्थितियों में प्रतिवादीगण की कार्रवाई कानून के तहत मान्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की सेवा नियमों का पालन किए बिना समाप्त कर दी गई है और पारित आदेश मनमाना है और इसे रद्द करने की आवश्यकता है।

(24) ऊपर जो टिप्पणियाँ की गई हैं, उसके आलोक में, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। समाप्ति आदेश अनुलग्नक P-5 को रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को सेवा में माना जाएगा जैसे कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

(25) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं,

आर.एन.आर

(2) ए. आई. आर 1974 एस. सी. 555
(3) 1996 (2) आरएसजे 578

1149 एच. सी.-सरकार। प्रेस, वी. टी., सीएच. डी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा